

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/ 520

दिनांक

22/11/24

निमित्त:-

अधिशायी अभियन्ता

सा 0 नि 0 वि 0 खण्ड शाहवादा ।

विषय :- जनपद बारां में आर.आर.एस.एम.पी. योजना के तहत जलवाडा से किशनपुरा सडक के निर्माण हेतु 2.96 है 0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के कम में

Proposal ID NO - FP/RJ/ ROAD /6954/2014 (2.96 ha)

संदर्भ:- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 के कम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जलवाडा से किशनपुरा सडक के निर्माण हेतु 2.96 है 0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की प्रथम स्तरीय सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनउ का पत्र क्रमांक 254 दिनांक 23.08.2016 को जारी की गई थी ।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित बिन्दु संख्या - 2 के कम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि

क्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @252 से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार वेज रेट @259 से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	164100	485736	2.96	198000	586080	485736	100344

2. बिन्दु संख्या - 5 के (ग) के कम में NPV की राशि

प्र. सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार तत्समय प्रचलित दर से चाही गई राशि			सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त के अनुसार NPV की वर्तमान नवीन दर से चाही गई राशि			जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
	क्षेत्रफल	दर	राशि	क्षेत्रफल	दर	राशि		
1	2.96	626000	1852960	2.96	957780	2835029	1852960	982069

3. FCA उल्लंघन के कम में MOEF के परिपत्र दिनांक 29.01.2018 के अनुसार दण्डातमक राशि

a) उल्लंघन की दिनांक - 19.08.2020

b) कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 1.8348 है 0

c) NPV की राशि - 957780 प्रति हैक्टर

d) शास्ती की गणना 19.08.2020 से 31 दिसम्बर 2023 तक

$$1.8348 \times 4 \times 957780 = 7029339 \text{ /-}$$

e) यदि प्रस्ताव जन उपयोगी है तो गणना की राशि का 20% शास्ती के रूप में देय होगा इस प्रकार राशि जो जमा कराई जानी शेष है।

$$7029339 \times (20/100) = 1405868$$

4- कुल राशि का विवरण

क्र. सं.	मद का नाम	चाही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो जमा करानी है।
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि	586080	485736	100344
2	NPV की राशि	2835029	1852960	982069
3	दण्डात्मक राशि	1405868	0	1405868
	योग	4826977	2338696	2488281

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि $100344 + 982069 + 1405868 = 2488281$ रु. केम्पा मद Online e- portal (<https://parivesh.nic.in/>) में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

दिनांक

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2022-23 /

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0बारां।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

5 के

पत्र

न भूमि
गयालय

शेष
शे जो
न
गनी

750

शेष
[जो
नी है।

9450

गर